

शिव सभजिता सिंह
सा. अम्बारकोरेया
धुरकी

फारम सं० - 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला गढ़वा सं० 107 सन 20.12-13

केस का प्रकार CNT Act के तहत आदिवासीकी भूमि विक्री हेतु परमीशन

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
---------------------------	--------------------------------	--

1

2

3

10.11.12

आवेदक रामकेश सिंह पिता स्व०
जिता सिंह जाति खरवार सा०+पौ०
अम्बारकोरेया थाना धुरकी जिला
गढ़वा राज्य झारखण्ड ने आवेदन
पत्र देकर निम्नांकित भूमि विक्री
करने हेतु अनुमति की मांग की
है।

भूमि का विवरण

ग्राम	खतानं०	प्लॉटनं०	खवा चौदड़ी
अम्बारकोरेया	20	90/348	0.20 1/2

उपरि लिखित
प्लॉटनं०
पू०- त्रिभुजापति
प०- निमि केता

सादे वीस डी० माघ।

अतः अंचल अधिकारी धुरकी से जांच प्रतिवेदन
की मांग दिनांक 30.11.13 तक करें।

उप समाप्त
नगर उन्तरी

श्री

दक विवेक

ITO

धारा

भूमि

आवेदनपत्र

वासी

व अंचल

श्री अति

श्री मुशिकल

31-7-13.

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी धुरकी के पत्रांक विनांक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया जाय प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि केता एवं विडेता दोनों एक ही जाति के एवं एक ही धाना के रैयत हैं। जमा-परीवार से आवेदक का पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। आवेदक द्वारा कुल धारित भूमि का 3-38 1/2 एकड़ एवं प्रस्तावित भूमि विक्री के पत्रचात रकवा 3-18 एकड़ बचती है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि विक्री करने की अनुमति दी गई है। आवेदक विक्रेता द्वारा ध्यान पत्र दिया गया है कि मैं किसी के दबाव या बहकाने में नहीं आकर स्पष्टता से अपनी भूमि की विक्री आवश्यक कार्य हेतु कर रहा हूँ।

अतः अंचल अधिकारी, धुरकी के अनुमति से आलोक में एवं ध्यान पत्र के अनुसार निम्नोक्त भूमि को आवेदक रामकेश सिंह पिता स्वर्जित सिंह सा०+पो० अम्बारेखा धाना धुरकी के निम्नोक्त भूमि केता चन्द्रमणी देवी पति शम्भु सिंह सा०+पो० अम्बारेखा धाना धुरकी के द्वारा विक्री करने की जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम	खाना	प्लॉट	रकवा
अम्बारेखा-	20	- 90/348	0-20 1/2 बी०

आवेदक एवं अवर निबंधक पदाधिकारी नगर उन्वारी को सूचित करें।
लेखापित/संभावित

उप समाप्त
नगर उन्वारी

उप समाप्त
नगर उन्वारी

31-7-13